नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रमुख वैश्विक निर्माताओं द्वारा ई-वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 15 मार्च 2024 को एक योजना को मंजूरी दी है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- नई नीति कंपनियों को देश में न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए बाध्य करती है और उन्हें कम से कम 25% घटकों के साथ ईवी के लिए स्थानीय विनिर्माण स्थापित करने के लिए तीन साल की अनुमति देगी, जो संभावित रूप से टेस्ला की बाजार में प्रवेश योजनाओं को बढ़ावा देगी।
- निवेश प्रतिबद्धता को छोड़े गए कस्टम ड्यूटी के बदले में बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होना होगा।
- भारत में अपना प्लांट स्थापित करने का विकल्प चुनने वाले ईवी खिलाड़ियों के लिए लाभ के अलावा, केंद्र कम कस्टम दर पर कारों के सीमित आयात (8000 सालाना) की अनुमति देगा।

नए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की मुख्य विशेषताएं

- इस नीति के तहत न्यूनतम निवेश 4,150 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
- इसके तहत विनिर्माण के लिए समय-सीमा तय की गई | भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 3 वर्ष, और ई-वाहनों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना, और अधिकतम 5 वर्षों के भीतर 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) तक पहुंचना।
- विनिर्माण के दौरान घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) तीसरे वर्ष तक 25% और पांचवें वर्ष तक 50% का स्थानीयकरण स्तर हासिल करना होगा।
- 15 प्रतिशत का सीमा शुल्क (जैसा कि सीकेडी इकाइयों पर लागू होता है) कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए 35,000 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक के न्यूनतम सीआईएफ मूल्य वाले वाहन पर लागू होगा बशर्ते निर्माता 3 वर्ष की अवधि के भीतर भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करे।
- आयात के लिए अनुमति : ईवी की कुल संख्या पर छोड़ा गया शुल्क निवेश तक सीमित होगा या 6,484 करोड़ रुपये (पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन के बराबर) जो भी कम हो।
- यदि निवेश $800 मिलियन या अधिक है, तो प्रति वर्ष 8,000 से अधिक की दर से अधिकतम 40,000 ईवी की अनुमति नहीं होगी। अप्रयुक्त वार्षिक आयात सीमाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।
- कंपनी द्वारा की गई निवेश प्रतिबद्धता को छोड़े गए कस्टम ड्यूटी के बदले में बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होना होगा।
- योजना दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित घरेलू मूल्य संवर्धन और न्यूनतम निवेश मानदंडों को पूरा न करने की स्थिति में बैंक गारंटी लागू की जाएगी।

ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 जारी किया है। IEA का ग्लोबल मीथेन ट्रैकर (GMT) ऊर्जा क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक अनिवार्य उपकरण है।

ग्लोबल मीथेन ट्रैकर (GMT) के बारे में

- नवीनतम IEA ग्लोबल मीथेन ट्रैकर ऊर्जा क्षेत्र से

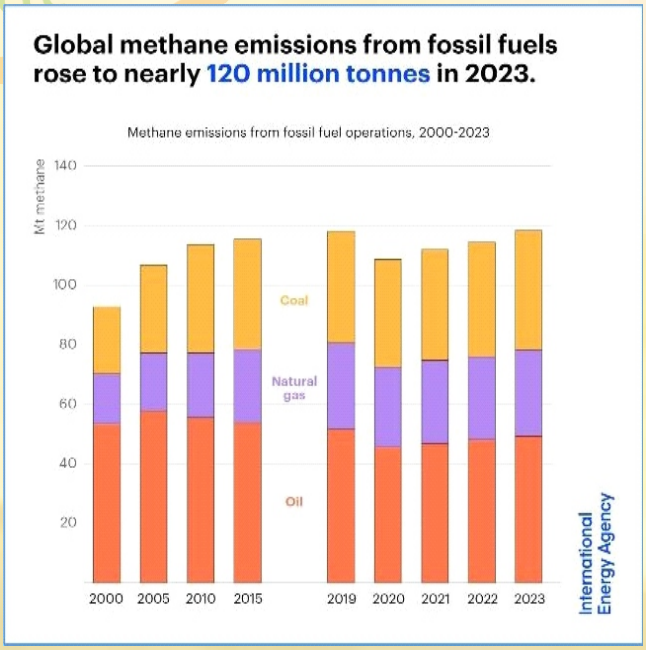

मीथेन उत्सर्जन पर सबसे हाल ही में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है और इसमें नए वैज्ञानिक अध्ययन, माप अभियान और उपग्रहों से एकत्र की गई जानकारी शामिल है।

- IEA के अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 में लगभग 120 मिलियन टन उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से जुड़ा था, जिसमें लगभग 80 मिलियन टन उन देशों से आया था जो वैश्विक स्तर पर मीथेन के शीर्ष 10 उत्सर्जकों में से हैं।
- तेल और गैस परिचालन से संयुक्त राज्य अमेरिका मीथेन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, इसके बाद रूस और चीन का स्थान आता है।
- वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन संचालन में मीथेन की हानि 170 बिलियन क्यूबिक मीटर थी, जो कतर के प्राकृतिक गैस उत्पादन से अधिक थी।
- नॉर्वे और नीदरलैंड में उत्सर्जन की तीव्रता सबसे कम है। मध्य पूर्व के देशों, जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भी उत्सर्जन तीव्रता अपेक्षाकृत कम है, जबकि तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला में सबसे अधिक है।
- 2023 में औसत ऊर्जा कीमतों के आधार पर, जीवाश्म ईंधन से होने वाले 120 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जन में से लगभग 40% को बिना किसी शुद्ध लागत के टाला जा सकता है।
- पेरिस समझौते के अनुसार तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दुनिया को 2030 तक जीवाश्म ईंधन से मीथेन उत्सर्जन में 75 प्रतिशत की कटौती करने की जरूरत है।

उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

सुर्खियों में क्यों?

- 17 मार्च 2024 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) द्वारा 23 देशों में ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के भाग के रूप में फाउंडेशनल साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण (FLNAT) का आयोजन किया गया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम के तहत FLNAT का आयोजन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सभी जिलों में किया किया गया, जिसमें परीक्षा केंद्र के रूप में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) और सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूल को शामिल किया गया।
- मूल्यांकन में तीन विषय शामिल हैं - पढ़ना, लिखना और संख्यात्मकता - प्रत्येक में 50 अंक हैं, कुल 150 अंक हैं। यह परीक्षण पंजीकृत गैर-साक्षर शिक्षार्थियों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया है।

- उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित शिक्षण-शिक्षण सत्रों के प्रभाव का आकलन करने में यह परीक्षण महत्वपूर्ण है।
- FLNAT विकसित भारत और जन जन साक्षर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (उल्लास) के बारे में

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने 2022 से 2027 तक पांच साल की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की, जिसे ULLAS (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) के नाम से जाना जाता है।
- योजना का प्राथमिक उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों को सशक्त बनाना है, जिन्हें खुद को शिक्षित करने का अवसर नहीं मिला है, और उन्हें देश के विकास में योगदान करने में सक्षम बनाना है।
- यह न केवल शिक्षार्थियों को पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल हासिल करने की अनुमति देता है, बल्कि आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जीवन कौशल की समझ के साथ समृद्ध भी करता है।
- उल्लास शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के मार्ग को रोशन करते हुए आशा की किरण के रूप में कार्य करना जारी रखता है।
- यह पहल राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यात्मक साक्षरता , व्यावसायिक कौशल, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और नागरिकों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- यह पहल स्वयंसेवा के माध्यम से संचालित होती है। यह स्वयंसेवकों को राष्ट्र-निर्माण की दिशा में कर्तव्य या कर्तव्य बोध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्र स्वयंसेवकों को स्कूल/विश्वविद्यालय में क्रेडिट और प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र और अभिनंदन सहित अन्य माध्यमों से प्रोत्साहित किया जाएगा।

CCI ने प्ले स्टोर मूल्य निर्धारण नीति की जांच के आदेश दिए (CCI orders probe into Play Store Pricing Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कुछ भारतीय कंपनियों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बीच, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने ऐप डेवलपर्स पर "अनुचित सेवा शुल्क" लगाने के लिए गूगल की प्ले स्टोर बिलिंग नीति की जांच का आदेश दिया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- सीसीआई ने पाया कि गूगल द्वारा इस तरह के थोपे जाने के परिणामस्वरूप ऐप डेवलपर्स के पास अपने ऐप की पेशकश को बढ़ाने या विकसित करने के लिए कम संसाधन थे, जिससे ऐप बाजार की वृद्धि बाधित हुई।

- गूगल द्वारा इस तरह के थोपे जाने के परिणामस्वरूप ऐप डेवलपर्स के पास अपने ऐप की पेशकश को बढ़ाने या विकसित करने के लिए कम संसाधन रह गए, जिससे ऐप बाजार की वृद्धि बाधित हुई।
- गौरतलब है कि हाल ही में, तकनीकी दिग्गज ने अपने उपयोगकर्ता पसंद बिलिंग (यूसीबी) प्रणाली के साथ कथित गैर-अनुपालन के लिए कुछ भारतीय डेवलपर्स के ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के बारे में

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना मार्च 2009 में भारत सरकार द्वारा अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी।
- आयोग का कार्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को खत्म करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

रवनीत कौर CCI की वर्तमान अध्यक्ष हैं।

सेबी ने FPI डिस्क्लोजर मानदंडों में छूट दी (SEBI relaxes FPI disclosure norms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 15 मार्च 2024 को एक एकल कॉर्पोरेट समूह में 50 प्रतिशत से अधिक भारतीय संपत्ति प्रबंधन (एयूएम) रखने वाले FPI के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर मानदंडों में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- सेबी ने एफपीआई द्वारा भौतिक परिवर्तनों के डिस्क्लोजर के लिए समय-सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वर्तमान में, एफपीआई को सात कार्य दिवसों के भीतर अपने डीडीपी (नामित डिपॉजिटरी भागीदार) को पहले प्रदान की गई जानकारी में महत्वपूर्ण बदलावों का खुलासा करना होगा।

- एफपीआई के गृह क्षेत्राधिकार की अनुपालन स्थिति में प्रतिकूल परिवर्तन या एफपीआई के श्रेणी I से II तक पुनर्वर्गीकरण के लिए दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में प्रतिभूतियों के निपटान के लिए न्यूनतम 180 दिनों की समयावधि या पंजीकरण ब्लॉक की समाप्ति, जो भी बाद में हो, प्रदान की जाएगी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के बारे में

- सेबी (Securities and Exchange Board of India-SEBI), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- सेबी (SEBI) का मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना तथा विनियमित करना है।
- सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं।
- सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा कई अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं। सेबी के अध्यक्ष के

पास "तलाशी/जाँच और ज़ब्ती संबंधी ऑपरेशन" का आदेश देने का अधिकार है। सेबी बोर्ड किसी भी प्रकार के प्रतिभूति लेन-देन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी मांग सकता है।

- सेबी एक अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक निकाय है जो विनियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है तथा जुर्माना लगा सकता है। इसे दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के बारे में

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में दूसरे देश में निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियां और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल होती हैं। यह निवेशक को कंपनी की संपत्ति का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ-साथ, एफपीआई विदेशी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के सामान्य तरीकों में से एक है। एफडीआई और एफपीआई दोनों अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्त पोषण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- एफडीआई के विपरीत, एफपीआई में निष्क्रिय स्वामित्व शामिल है; निवेशकों का उद्यम या संपत्ति के सीधे स्वामित्व या किसी कंपनी में हिस्सेदारी पर कोई नियंत्रण नहीं है।